न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-162RAAJodhpur2023-79RTA223 Nakataram ors Vs Gugarlal etc

1. नकताराम उर्फ नखतमल पुत्र श्री बाबुलाल
2. लालचन्द पुत्र श्री बाबुलाल के कायम मुकामः -
   2.1. कमला देवी पत्नी स्व. लालचंद
   2.2. धनराज पुत्र स्व. लालचन्द
   2.3. लक्ष्मण कुमार पुत्र स्व. लालचन्द
   2.4. मनोज माली पुत्र स्व. लालचन्द
   सभी जातियान् माली, निवासीगण- मालियों का बास, मधुजी की बेरी के पास, फलोदी, तहसील व जिला जोधपुर।
   2.5. भगवती देवी पुत्री स्व. लालचंद पत्नी रमेश कुमार जाति माली, निवासी- वार्ड नंबर 14 मालीयों की गली पोकरण, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
   2.6. लीला पुत्री लालचन्द पत्नी ईश्वरलाल, जाति माली, निवासी- ग्राम डिडानिया, जिला जैसलमेर।
   2.7. प्रमिला पुत्री स्व. लालचंद पत्नी किशनलाल जाति माली, निवासी- वार्ड नंबर 15 मालीयों की गली तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
   2.8. सुनिता पंवार पुत्री स्व. लालचंद पत्नी मुकेश जाति माली, निवासी- आशापुरा बाय पास रोड़ वार्ड नंबर 14 पोकरण, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
3. बलाराम उर्फ रमेश पुत्र श्री बाबूलाल
   जातियान् माली, निवासीगण- वार्ड नं. 15 मधु जी की बेरी के पास, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
4. आसुलाल पुत्र श्री बाबुलाल जाति माली, निवासी- फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी। हाल निवासी- मोती महल बीकानेर मिष्ठान भण्डार, मोहता पाड़ा जैसलमेर, तहसील व जिला जैसलमेर।
5. श्रीमती सुंदरदेवी पुत्री श्री बाबूलाल जी, पत्नी अमृतलाल
6. श्री अम्मु पुत्री श्री बाबुलाल, पत्नी पोकरराम,
   जातियान् माली, निवासीगण- मैन बाजार नोख, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. गुगरलाल पुत्र श्री बाबुलाल जी जाति माली, निवासी- जोधपुरियों का बास, सत्यनारायण बगेची के पास,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वार्ड नंबर 39 नयापुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

2. भाऊलाल पुत्र श्री बाबूलाल जाति माली, निवासी- जोधपुरियों का बास, सत्यनारायण बगेची के पास, वार्ड नंबर 39 नयापुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
3. जनकीलाल पुत्र बाबूलाल, जाति माली, निवासी- गायत्री पैलेस के पीछे मधु जी की बेरी के पास, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
4. रामचन्द्र पुत्र बाबुलाल जाति माली, निवासी- माधोदास की गुफा के पास, नयापुरा वार्ड नंबर 40, मालियों का बास, फलोदी, जिला फलोदी।
5. श्रीमती बाई उर्फ दुर्गा पुत्री बाबूलाल जी पत्नी भल्लाराम जाति माली, निवासी- कोरिया बास, पोकरण, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 05/2020 गुगरलाल बनाम नकताराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 01

श्री दयाराम चौथरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 06

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 05/2020 गुगरलाल बनाम नकताराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 254/1 रकबा 3 बीघा ग्राम फलोदी तहसील पीपाड़ शहर के संबंध में अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्ति के पश्चात दिनांक 17 फरवरी 2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री के जरिये वादी/रेस्पो. संख्या एक का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व सभी सहखातेदारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तहसीलदार फलोदी द्वारा बिना मौके पर आये बिना कब्जे काश्त की जांच किये राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर अपने प्रति हस्ताक्षर करके विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया तथा विचारण न्यायालय द्वारा उसी आधार पर निर्णय पारित कर दिया। राजस्व निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई है तथा मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वर्तमान कब्जे काश्त की भी जांच नहीं की गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा छपे-छपाये फार्म पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाकर विचारण न्यायालय को प्रेषित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् को आपत्तियाँ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव अंतिम डिक्री जारी कर दी तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता की सहमति भी दर्शा दी, जबकि अधिवक्ता द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकले दिनांक 02.3.2023 को प्राप्त कर ली थी, किंतु अपीलांट्स के परिवार के सदस्य का निधन हो जाने से अपील पेश करने हेतु जोधपुर आ नहीं सका, इस कारण दो दिन का विलंब हो गया जो न्याय हित मे क्षमा योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 05/2020 गुगरलाल बनाम नकताराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2023 को निरस्त जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर पुनः नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाया जाकर उस पर पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत नियमानुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री पारित की है। वक्त निर्णय अपीलांट के अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार द्वारा विभाजन तैयारी के वक्त नियम 18 से 21 की पालना में सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखा हैं तथा मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की राजस्व रेकर्ड में पालना हो चुकी है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न हैं, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार फलोदी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है तथा नियमानुसार प्रत्येक खातेदार के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते का प्रावधान रखा जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए, किंतु उनके द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं किया जाना पाया जाता है। लिहाजा विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 05/2020 गुगरलाल बनाम नकताराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2023 को यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-162RAAJodhpur2023-79RTA223 Nakataram ors Vs Gugarlal etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. नकताराम उर्फ नखतमल पुत्र श्री बाबुलाल 2. लालचन्द पुत्र श्री बाबुलाल के कायम मुकामः - 2.1. कमला देवी पत्नी स्व. लालचंद 2.2. धनराज पुत्र स्व. लालचन्द 2.3. लक्ष्मण कुमार पुत्र स्व. लालचन्द 2.4. मनोज माली पुत्र स्व. लालचन्द सभी जातियान् माली, निवासीगण- मालियों का बास, मधुजी की बेरी के पास, फलोदी, तहसील व जिला जोधपुर। 2.5. भगवती देवी पुत्री स्व. लालचंद पत्नी रमेश कुमार जाति माली, निवासी- वार्ड नंबर 14 मालीयों की गली पोकरण, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर। 2.6. लीला पुत्री लालचन्द पत्नी ईश्वरलाल, जाति माली, निवासी- ग्राम डिडानिया, जिला जैसलमेर। 2.7. प्रमिला पुत्री स्व. लालचंद पत्नी किशनलाल जाति माली, निवासी	ब ना म	1. गुगरलाल पुत्र श्री बाबुलाल जी जाति माली, निवासी- जोधपुरियों का बास, सत्यनारायण बगेची के पास, वार्ड नंबर 39 नयापुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी। 2. भाऊलाल पुत्र श्री बाबूलाल जाति माली, निवासी- जोधपुरियों का बास, सत्यनारायण बगेची के पास, वार्ड नंबर 39 नयापुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी। 3. जनकीलाल पुत्र बाबूलाल, जाति माली, निवासी- गायत्री पैलेस के पीछे मधु जी की बेरी के पास, फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी। 4. रामचन्द्र पुत्र बाबुलाल जाति माली, निवासी- माथोदास की गुफा के पास, नयापुरा वार्ड नंबर 40, मालियों का बास, फलोदी, जिला फलोदी। 5. श्रीमती बाई उर्फ दुर्गा पुत्री बाबूलाल जी पत्नी भल्लाराम जाति माली, निवासी- कोरिया बास, पोकरण, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्व. लालचंद पत्नी
मुकेश जाति माली,
निवासी- आशापुरा
बाय पास रोड़ वार्ड
नंबर 14 पोकरण,
तहसील पोकरण,
जिला जैसलमेर।

3. बलाराम उर्फ रमेश पुत्र श्री बाबूलाल
   जातियान् माली,
   निवासीगण- वार्ड नं.
   15 मधु जी की बेरी
   के पास, फलोदी,
   तहसील फलोदी,
   जिला फलोदी।
4. आसुलाल पुत्र श्री बाबुलाल जाति माली, निवासी- फलोदी, तहसील फलोदी, जिला फलोदी। हाल निवासी- मोती महल बीकानेर मिष्ठान भण्डार, मोहता पाड़ा जैसलमेर, तहसील व जिला जैसलमेर।
5. श्रीमती सुंदरदेवी पुत्री श्री बाबूलाल जी, पत्नी अमृतलाल
6. श्री अम्मु पुत्री श्री बाबुलाल, पत्नी पोकरराम,
   जातियान् माली, निवासीगण- मैन बाजार नोख, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 05/2020 गुगरलाल बनाम नकताराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 14 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री नाहरसिंह सोलंकी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी रावजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 05/2020 गुगरलाल बनाम नकताराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2023 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00--------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर